


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

16-01-25

पत्रावली पेश हुई।
वादी वकील उपस्थित।
बहस हेतु मौका चाहते हैं, जो दिया जाकर
पत्रावली आइंदा 23.01.2025 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

23.01.25


पत्रावली पेश हुई
वादी के वकील उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी
गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व
रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वादी के
अधिवक्ता ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित
किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया ग्राम आबूगढ तहसील सिवाना की
खसरा संख्या 965/946 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के
नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा में)	बरंग
1	गोबाराम पुत्र बाबुराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा.मिठौडा खातेदार	965/946	2.8992	हरा
	योग	1	2.8992	हरा
2	बदामी पत्नी राणाराम हिस्सा 1/2 जाति जीनगर सा. बालोतरा तहसील पचपदरा खातेदार, राणाराम पुत्र हंजारीराम हिस्सा 1/2 जाति जीनगर सा. बालोतरा तहसील पचपदरा	965/946	1.9328	नारंगी
	योग	1	1.9328	नारंगी
3	गोबाराम पुत्र बाबुराम हिस्सा 3/5 जाति मेघवाल सा.मिठौडा खातेदार, बदामी पत्नी राणाराम हिस्सा 1/5 जाति जीनगर सा. बालोतरा तहसील पचपदरा खातेदार, राणाराम पुत्र हंजारीराम हिस्सा 1/5 जाति जीनगर सा. बालोतरा तहसील पचपदरा	965/946	0.0242	बैगनी
	योग	1	0.0242	बैगनी

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाका दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादी:- गोबाराम पुत्र बाबुराम जाति मेघवाल निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला
बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. बदामी पत्नी राणाराम जाति जीनगर निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा
2. राणाराम पुत्र हंजारीराम जाति जीनगर निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नंबर :-45/2024

निर्णय दिनांक :- 23.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू मिनजानिव मुद्दई श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता पेश
होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम आबूगढ तहसील
सिवाना की खसरा संख्या 965/946 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के
आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा में)	बरंग
1	गोबाराम पुत्र बाबुराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा.मिठौडा खातेदार	965/946	2.8992	हरा
	योग	1	2.8992	हरा
2	बदामी पत्नी राणाराम हिस्सा 1/2 जाति जीनगर सा. बालोतरा तहसील पचपदरा खातेदार,राणाराम पुत्र हंजारीराम हिस्सा 1/2 जाति जीनगर सा.बालोतरा तहसील पचपदरा	965/946	1.9328	नांरगी
	योग	1	1.9328	नांरगी
3	गोबाराम पुत्र बाबुराम हिस्सा 3/5 जाति मेघवाल सा. मिठौडा खातेदार,बदामी पत्नी राणाराम हिस्सा 1/5 जाति जीनगर सा.बालोतरा तहसील पचपदरा खातेदार,,राणाराम पुत्र हंजारीराम हिस्सा 1/5 जाति जीनगर सा.बालोतरा तहसील पचपदरा	965/946	0.0242	बैगनी
	योग	1	0.0242	बैगनी

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरुस्ती
सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.01.2025 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना



आंशिक भू-नक्शा
फोटो कॉपी


ग्राम - आबूगढ़
तहसील - सिवाना
जैमाना - बिना स्केल

संकेत


≡≡ गोबाराभ


≡≡ वदामी वर्ग


≡≡ संयुक्त खातेदारी




सत्य प्रतिनिधि


3/11/2024
पटवारी कुंडल


03.11.24
I/R पादरु


3/11/2024
पटवारी कुंडल


तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना